

सराहनीय कार्य

दिनांक 29.12.2020

पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा

रेलवे की सम्पत्ति चोरी करने के 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के 12 बंडल सिंगल केबल (अनुमानित कीमत रु0 1,00,000/-), 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद नाजायज चाकू बरामद –

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. जगराम गुप्ता उर्फ रामू पुत्र मोतीलाल नि0 ग्राम बनरही थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।
02. रामराज यादव पुत्र स्व0 बाले नि0 ऐलनपुर ग्रन्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।
03. रामकरन वर्मा पुत्र लल्लन नि0 तामापार बनकटवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 528 / 2020, धारा 41.411.413 भादवि0 थाना को0 देहात जनपद गोण्डा ।
02. मु0अ0सं0- 529 / 2020, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा ।
03. मु0अ0सं0- 530 / 2020, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा ।
04. मु0अ0सं0- 19 / 2020, धारा **3RP(UP) Act.** आरपीएफ थाना जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 12 बंडल सिंगल केबल (रेल सम्पत्ति) ।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर ।
03. 02 अदद जिंदा कारतूस ।
04. 01 अदद नाजायज चाकू ।
05. 02 अदद हेक्सा ब्लेड ।
06. 01 अदद बोलेरो सं0 यू0पी043एस1078 ।

अभियुक्त जगराम गुप्ता उर्फ रामू का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 07/ 2012, धारा **3RP(UP) Act.** आरपीएफ थाना जनपद गोण्डा ।

संक्षिप्त विवरण-

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे, उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 देहात को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है ।

दिनांक 28/29.12.2020 की रात्रि को थाना को0देहात पुलिस रात्रि गश्त, तलाश वांछित अभियुक्त व देखभाल क्षेत्र में खाना होकर पाण्डेयपुर तिराहे के पास मौजूद थे कि तभी वहां पर रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार मय टीम के आये आपस में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के बारे में बातचीत कर ही रहे थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली की कुछ व्यक्ति सफेद रंग की बोलेरो से रेलवे का सामान चोरी करके बहलोलपुर की तरफ से पाण्डेयपुर की तरफ आ रहे हैं इस सूचना पर को0देहात पुलिस व आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा पाण्डेय तिराहा के पास रोड के दोनो तरफ खड़े हो गये कि उक्त बोलेरो वाहन के आने पर एकबारगी दबिश देकर उक्त वाहन को रोक कर उपरोक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा **एक अभियुक्त राधिका पुत्र संगम नि0 ग्राम ज्ञानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा** अधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जामा तलाशी से अभियुक्त जगराम गुप्ता उर्फ रामू के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस तथा अभियुक्त रामराज यादव के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ तथा बोलेरो गाड़ी सं0 यू0पी0 43एस1078 से 12 बंडल सिग्नल केबल (कुल 410 मीटर अनुमानित कीमत रु0 1,00,000/-) व 02 अदद हेक्सा ब्लेड बरामद हुआ। अभियुक्तगणों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे लोग यह केबल सोनी गुमटी से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन के किनारे से चोरी कर ले जा रहे थे। यह चारो लोग मिलकर रेलवे लाइन के किनारे रखे केबल को हेक्सा ब्लेड से काटकर बंडल बनाकर ले जाते हैं और उसको जलाकर उसके अन्दर से निकले तांबा को चलते फिरते कबाड़ियों को बेचकर पैसा कमाते हैं और आपस में बांट लेते हैं इस काम को करने में मुख्य भूमिका राधिका पुत्र संगम की रहती है। आरपीएफ निरीक्षक द्वारा बताया गया कि यह केबिल रेलवे विभाग के सिग्नल सिस्टम मे उपयोग होता है वर्तमान में रेलवे यार्ड गोण्डा क्षेत्र में रेलवे सिग्नल की रिमॉडलिंग का कार्य चल रहा है उसी कार्य में इस केबिल को भूमिगत करने के लिए रेलवे सिग्नल विभाग द्वारा जगह जगह पर रखा गया है यह केबिल रेलवे की संपत्ति है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0देहात में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय खाना किया जा रहा है।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. श्री आशीष शर्मा (पीपीएस) प्रभारी थाना को0देहात।
02. अतिरिक्त निरीक्षक जितेन्द्र बहादुर सिंह थाना को0देहात।
03. निरीक्षक प्रवीण कुमार रे0सु0ब0, उ0नि0ललितेश कुमार सिंह, का0 ब्रह्मानन्द राय, का0 निखिल पासवान।
04. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार वर्मा थाना को0देहात।
05. हे0का0 बालेन्द्र प्रताप।
06. हे0का0 राज किशोर।

07. का0 राहुल यादव, का0 नागेन्द्र यादव ।